

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

प्रवेश तिथि

निर्णय दिनांक

12/154/2017

15-09-2017

20-11-2019

01- रमझू उर्फ रामजीलाल पुत्र कन्हैया जाति चांदोर, हरिजन निवासी ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

01- सहायक वन सरंक्षक राजगढ़ जिला अलवर।  
02- क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय सहायक वन सरंक्षक

राजगढ़ दिनांक 21.07.2017 अन्तर्गत धारा 91

राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 20/2017

उपस्थित:-

01-श्री अशोक शर्मा

02-क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़

—वकील अपीलाण्ट

—पेरोकार सरकार



निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नप्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील सहायक वन सरंक्षक राजगढ़ के आदेश दिनांक 21.07.17 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रुंध मौजपुर की आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 2 बीघा भाग पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रुंध मौजपुर की आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 2 बीघा भाग पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 03.03.2017 को क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली व लगान से दण्डित किया। राज्य सरकार के पत्रांक एफ6(272) रेवेन्यू60 दि0 23.06.67 की पालना में 293 बीघा भूमि वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को दि0 25.08.70 को सम्भलवा दी गई। उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि दि0 09.08.70 को बटाईदार रामजीलाल को आवंटित की गई। जिसका गैरखातेदारी का नामांतरकरण दि. 16.09.77 को स्वीकृत हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया है। राजस्व विभाग द्वारा के आदेश दि0 01.07.70 की पालना में आदेश क्रमांक 2128/एलआर दि0 25.08.70 द्वारा 227 बीघा 19 बिस्वा भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को सम्भलवा दी गई। अपीलांट को आवंटन तहसीलदार अलवर द्वारा किया गया है। जो आवंटन करीब 54 वर्ष पूर्व हुआ है। अतः अपीलार्थी को बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्याया0 हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवालोकन से पाया कि पत्रावली में उपलब्ध आदेश क्रमांक 2128/एलआर दि0 25.08.70 की छायाप्रति पेश की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि रुंध मौजपुर की 227 बीघा 19 बिस्वा भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को हस्तानांतरित की गई है। उक्त संबंध में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा अवगत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)

P.T.O

(2)


कराया गया है कि अपीलान्त/पिता का नाम गैरखातेदारी के नामांतरकरण जरिये पट्टा द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दि. 09.08.70 को दर्ज होकर दि. 16.09.77 को स्वीकृत हुए हैं। अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर सहायक वन संरक्षक राजगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि ग्राम रूंध मौजपुर की 227 बीघा 19 बिस्वा भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को हस्तानांतरित की गई भूमि के संबंध में जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
20/11/19  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)